राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः– एफ3(1)जांच/परावि/झु0/07/699 जयपुर,दिनांक 5-2-08

आदेश

श्री हरफूल सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत हनुमानपुरा, पंचायत समिति झुंझुनू, जिला झुंझुनू के विरूद्व इन्दिरा आवास योजना में अनियमितता करने बाबत प्राप्त शिकायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुंझुनू से विस्तृत जांच करवाई गई जिसमें आरोप को प्रमाणित माना गया। प्रमाणित इस आरोप के कम में आरोपी संरपंच से परिनिर्णय लेखबद्व का नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया।

आरोपी सरपंच द्वारा परिनिर्णय लेखबद्व के नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रथम किस्त का भुगतान दिनांक 21.3.07 को जरिये चैक किया गया था जिसे पुनः दिनांक 25.3.07 को ग्राम पंचायत के कोष में जमा करवा दिया गया। दिनांक 25.5.07 को रिकार्ड पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा लेने पर उनके हस्ताक्षर के नीचे की तिथी है। इसके अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति ग्राम सेवक की अभिशंषा के आधार पर सरोज स्त्री बाबूलाल को इन्दिरा आवास में पात्र महिला मानकर स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें प्रार्थी सरपंच की अंपने कर्तव्य के प्रति कोई लापरवाही एवं बदनीयती या दुराचरण नही है और ना ही प्रार्थी द्वारा कोई अस्थाई गबन किया होना माना जा सकता है।

विस्तृत जांच में भी जांच अधिकारी ने अवगत कराया कि गवाहो के बयान के आधार पर लाभार्थी के पास राशि इतने दिनो तक रही कि उन्होने इन्दिरा आवास बना लिया। राशि शिकायत के उपरान्त वापस जमा की गई। तथा आरोपी सरपंच द्वारा अपने गांव की बेटी को नही पहचानने का तथ्य भी अविश्वसनीय है और जानबूझ कर एक अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवार की महिला को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया हैं। इस प्रकार रिकार्ड के आधार पर आरोपो को पूर्णतया प्रमाणित माना गया है।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि सरपंच का उक्त कृत्य अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आने से उक्त श्री हरफूल सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत हनुमानपुरा, पंचायत समिति झुंझुनू, जिला झुंझुन संरपंच पद की अयोग्यता की श्रेणी में आ गये है अतः सरकार उनके विरुद्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(1)(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ एतद द्वारा सरंपच को पद से हटाये जाने के आदेश प्रदान करती है।

राज्य सरकार की आज्ञा से

(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माo मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. सम्माननीय आयुक्त, जयपुर।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि राजपत्र के आगामी अंक के भाग 6(ग) में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
5. जिला/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुन्झुनू।
6. सम्पादक, राजस्थान विकास, मुख्यालय,
7. करिश्मा प्रोजेक्ट सेल, मुख्यालय।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।
9. श्री हरफूल सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत हनुमानपुरा, पंचायत समिति झुन्झुनू, जिला झुन्झुन
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)